कार्यालय श्रमायुक्तय, मध्य प्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्वे./पांच/2024/ 32034 इन्दौर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024

संशोधन अधिसूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 28751-29000 दिनांक 30.09.2024 द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दिनांक 1.10.2024 से 31.03.2025 तक देय परिवर्तनशील महगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन दरों की अधिसूचनाएं विभिन्न अनुसूचियों सहित जारी की गई है।

उक्त अधिसूचना के संलग्न कृषि में नियोजन संबंधी **अनुसूची-द** (पृ.क्र.19) की तालिका के कॉलम-1 से 07 तक के उपर अंकित "दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक" त्रुटिपूर्ण अंकित होने के फलस्वरूप अनुसूची-द में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

<u>अनुसूची-द (कृषि में नियोजन) संशोधन</u>

अनुसूची-द की तालिका के कॉलम 01 से 07 के ऊपर अंकित दिनांक "01.10.2023 से 31.03.2024 तक" के स्थान पर **"दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक"** पढा जावे।

उक्तानुसार पूर्व में जारी अनुसूची-द में प्रदर्शित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महगाई भत्ते की मासिक / दैनिक दरें एवं शर्ते यथावत रहेगी।

(धनराजू एस.) 23/10/2024
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्वे./पांच/2024/ 32035-285 इन्दौर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि –

1- समस्त संबंधितों की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2- आई.टी.शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र.(मुख्यालय) इन्दौर की ओर पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, 23/10/2024
मध्य प्रदेश, इन्दौर

संशोधित अनुसूची – द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक								दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक देय						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5350	178.33	2808	93.60	8158	271.93	272	अकुशल कृषि श्रमिक	5350	178.33	2982	99.40	8332	277.73	278

स्पष्टीकरण – परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

(7) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून,2014 के आधार आंकडों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रूपये 6/- (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।

(8) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णाकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

(9) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

(10) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

(11) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरूषों के लिए एक समान नियत है।

(12) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(धनराजू एस.)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर